<u>न्यायालय-सिविल जज (जू०डि०) कोंच, जनपद जालौन।</u>

मूलवाद सं०-388/2022

राममोहन झां बनाम श्यामसुंदर झां।

<u>दिनांक</u> <u>20.02.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय अधिवक्तागण हाजिर आये। पत्रावली वास्ते वादबिंदु हेतु नियत है। उभयपक्ष से प्रस्तुत मामले को उनके मध्य सुलह समझौते से निस्तारण हेतु अंतर्गत धारा 89 जा०दी०, पत्रावली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (मध्यस्थता केन्द्र)संदर्भित के विषय में पूछा गया तो पक्षकारों द्वारा विवाद की प्रकृति का हवाला देते हुए सुलह समझौते से मामले को निस्तारित करने से इंकार किया गया। तदुपरान्त उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गयेः-

1. क्या वादी वाद पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा एवं बंटवारे की आज्ञप्ति प्राप्त करने का अधिकारी है अथवा नहीं?

2. क्या दावा वादी का वाद अल्पमूल्यांकित है?

3. क्या दावा वादी द्वारा प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है?

4. क्या इस न्यायालय को वर्तमान वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है?

5. क्या दावा वादी का वाद पक्षकारों के कुसंजोन व असंयोजन के दोष से बाधित है?

6. क्या दावा वादी को Locus Standi व Right to Sue प्राप्त है अथवा नहीं?

7. क्या दावा वादी का वाद विवंधन के सिद्वांत (Aquiscence by Estoppel) से बाधित है?

8. क्या दावा वादी का वाद म्याद अधिनियम से बाधित है?

9. क्या दावा वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के दोष से बाधित है?

10. क्या दावा वादी का वाद विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से वर्जित है?
वादी किस अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?

11. क्या प्रतिवादीगण वादी से सि.प्र.सं. की धारा 35क के तहत विशेष हर्जा प्राप्त करने के अधिकारी है?

उपरोक्त वाद बिन्दु के अतिरिक्त न तो कोई वाद बिन्दु बनता है और न ही बनाये जाने पर बल दिया गया है। पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2, 3 व 4 दिनांक 06.04.2024 को पेश हो।

सिविल जज(जू.डि.)
कोंच, जनपद जालौन।

"This is uncertified copy for informational purpose ,
For authentic copy, please refer to the certified copy only."
Hari Mohan Yadav
(Steno)